(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

शंकर बनाम आशा देवी वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र पुनः रेस्टोर किये जाने आवेदन 251 ए

प्रकरण संख्या 07 सन् 2025

2025/09

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
7.04.25	पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिपक्षीगण जारी हो। पत्रावली दिनांक 15.04.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पीपलू टोंक	
15/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ... आवेशिका अनुसार दिनाक 17/4/25 ......पेश हो।	
17/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ... आवेशिका अनुसार दिनाक 25/4/25 पेश हो।	
25/04/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप:। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया की उक्त उनवानी प्रकरण को अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष सुनवायी हेतु रिमाण्ड किया गया था तथा पक्षकारान् को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत् दिनांक 18.12.2024 तारिख पेशी नियत की थी, किन्तु नियत दिनांक को पत्रावली न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं होने के कारण आगामी पेशी मुकर्रर नहीं हो सकी। लेकिन जैन न्यायालय हाजा मे के बारे मे ज्ञात किया, तो पत्रावली प्राप्त प्रकरण	

होने पर प्रकरण को पुनः दिनांक 20.12.2024

उप खण्ड अधिकारी

पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

को दर्ज रजिस्टर कर, पक्षकारान को बिना सूचित किये ही आगामी पेशी 17.01.25 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को पुनः रेस्टोर किया जाकर सुनवायी के आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत पत्रावली न्यायालय हाजा को प्राप्त होने पर दिनांक 20.12.2024 को दर्ज की गई है, जबकि अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2024 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। इससे प्रतीत होता है की प्रस्तुत पत्रावली न्यायालय हाजा को विलम्ब से प्राप्त हुई है। विलम्ब से पत्रावली प्राप्त होने के कारण पक्षकारान की न्यायालय हाजा द्वारा सूचित किया जाकर गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय पारित किया जाना चाहिए लेकिन न्यायालय हाजा द्वारा आगामी पेशी पर प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया गया है। अतः न्यायहित की मानना से प्रार्थना पत्र पुनः रेस्टोर किया जाने प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण आवेदन 251 A मे उभयपक्ष को सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल आवेदन प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251A पुनः नम्बर पर लिया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी, प्रतिपक्षीगण के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. पेश हो। निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)